

कार्यालय - मुख्य शिक्षा अधिकारी, देहरादून।

पत्रांक : शिविर (वे०) / १५-क / १०६५६-५० / मान्यता / २०२३-२४ / दिनांक : ३० अगस्त, २०२३
सेवा में,

प्रबन्धक / व्यवस्थापक / अध्यक्ष,
श्री गुरु राम राय पद्मिक स्कूल,
उदियाबाग, विकासनगर,
देहरादून।

विषय :- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-२००९ के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का प्रमाण-पत्र।
महोदय / महोदया,

आपके आवेदन पत्र के क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गये निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय श्री गुरु राम राय पद्मिक स्कूल, उदियाबाग, विकासनगर देहरादून को ग्री-प्राईमरी से कक्ष-०८ तक की (अंग्रेजी माध्यम) संचालन हेतु ०३ वर्ष की दिनांक ३०.०८.२०२३ से २९.०८.२०२६ तक की अवधि के लिए स्थीरूप प्रदान की जाती है। प्रदत्त स्थीरूप निम्न शर्तों के अनुपालन में अधीन होगी :-

1. मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्ष-०८ तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, २०११ का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी न्यूनतम कक्षा में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का २५ प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पढ़ोर के कमज़ोर एवं वंचित समुदाय के बच्चों का करेगा तथा उन्हें निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्रारम्भिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्रारम्भिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. उपरोक्त क्रम संख्या-३ पर वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (२) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालित करेगा।
5. संस्था / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुदान / कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके मांता-पिता / अभिभावक का साक्षात्कार नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसको आप प्रमाण पत्र, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रवेश तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर मना नहीं करेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे—
(एक) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा;
(दो) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शाश्वतिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा;
(तीन) किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी;
(चार) प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम ३५ के उपनियम (१) के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा;
(पाँच) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में निःशक्त / विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा;
(छ) शिक्षक, अधिनियम की धारा २४ की उपधारा (१) तथा नियमावली के नियम ३१ में प्राविधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे, और
(सात) शिक्षक, निजी-सत्र पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि (ट्यूशन) में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यचर्चा एवं पाठ्यक्रम का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा १९ के प्राविधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा १९ में उद्दृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अन्तिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत होगा—
 - विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल;
 - कुल निर्मित क्षेत्र;
 - खेल के मैदान का क्षेत्र;
 - कक्षा-कक्षों की कुल संख्या;
 - प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष;
 - बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शीघ्रालय;
 - पेयजल की सुविधा;
 - मध्याह्न भोजन के लिए रसोई-घर;

- वादा रहित पहुंच,
- शिक्षण अधिगम सामग्री / खेल-कृद उपकरण / प्रस्तुतकालय की उपलब्धता।
- 11. इस मान्यता द्वारा केवल स्थीकृत परिचर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कहीं विद्यालय संचालित नहीं होगा।
- 12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएं अथवा मैदान क्षेत्र उपयोग केवल शैक्षिक नीतियिहाँ हेतु किया जायेगा। इस भवन/ संरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यावसायिक कार्य हेतु नहीं किया जायेगा।
- 13. विद्यालय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत नियमित सोसाइटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
- 14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।
- 15. लेखा का अंकेक्षा एवं उसका प्रमाणीकरण घार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति, प्रतिवर्ष मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएगी।
- 16. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या 1337 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।
- 17. राज्य सरकार/ मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय-समय पर मौगे गये प्रतिवेदन एवं सूचनाएं, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्तों की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चित हेतु अथवा विद्यालय संचालन से सम्बन्धित कठिनाइयों को दूर करने हेतु समय-समय पर सुनिश्चित निर्देशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।
- 18. यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।
- 19. परिशिष्ट-चार के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।
- 20. यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती है तो विद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी जाएगी।
- 21. अधिनियम एवं नियमावली के अनुसार यह मान्यता तीन वर्ष के लिए की गयी है, उक्त अवधि समाप्त होने से पांच माह पूर्व पुनः मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र रख्य विद्यालय/ संस्था को करना होगा। आवेदन न करने की रिधि में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यालय/ संस्था का होगा।

भवदीप

(प्रदीप कुमार)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून।

पृष्ठों: शिविर(वे0)/ 15-क /

/ मान्यता / 2023-24

तददिनांक ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलीय अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौडी।
3. जिला शिक्षा अधिकारी (मा0 / वे0), देहरादून।
4. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से कि आरटी0ई0 नियमावली, 2011 के अनुसार आप विद्यालय निरीक्षकर्ता अधिकारी हैं, अतः अधिनियम एवं नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विद्यालयों का संचालन कराना सुनिश्चित करें, साथ ही समस्त विद्यालयों से समय-समय पर पूर्ण सूचनाएं विवरण प्राप्त कर पत्रावली में सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर सूचनाएं आपके माध्यम से प्राप्त की जा सकें और विद्यालयों का सतत निरीक्षण करते रहें।

(प्रदीप कुमार)
मुख्य शिक्षा अधिकारी
देहरादून।